न्यायालय विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.), कोर्ट नं०–06, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या–1357/2022

सी.बी.आई. बनाम अजय कुमार सिंह व अन्य

आर.सी.नं०– 0532021(S)0010,
अंतर्गत धारा–302, 330, 331, 318,
120(बी), 34 भा.दं.सं.,
थाना– सी.बी.आई./ए.सी.बी., लखनऊ।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र (बी–58) अंतर्गत धारा–227 दं.प्र.सं.

10.04.2024.

1. पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

2. प्रार्थना पत्र (बी–58), अंतर्गत धारा–227 दं.प्र.सं., आवेदक/अभियुक्त **स्वेत प्रकाश सिंह** की ओर से उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर सी.बी.आई. की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति (बी–61) प्रस्तुत की गयी है।

3. उन्मोचन प्रार्थना पत्र (बी–58) एवं आपत्ति (बी–61) पर आवेदक/अभियुक्त स्वेत प्रकाश सिंह के विद्वान अधिवक्ता व सी.बी.आई. की ओर से विशेष लोक अभियोजक को पूर्व में सुना जा चुका है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र (बी–58) में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि वह एस०ओ०जी० टीम का मुख्य आरक्षी है। दिनांक 01.02.2021 को शिवगुलामगंज हाई–वे पर 1,50,000/– रुपये की लूट के सम्बन्ध में अपराध संख्या–33/2021, धारा–392 भा.दं.सं., थाना बक्शा, जनपद जौनपुर में अज्ञात में दर्ज हुआ था, जिसमें अजय सरोज, धर्मेन्द्र यादव उर्फ बुच्चू तथा प्रेमनाथ देवनाथ सरोज उर्फ लाला सरोज को गिरफ्तार किया गया। उक्त में से एक अभियुक्त के मोबाईल से पुलिस द्वारा मृतक कृष्णा यादव उर्फ पुजारी की पहचान की गयी तथा 03:30 बजे चक मिर्जापुर जा कर सौरभ पाठक द्वारा उसे जौनपुर–लखनऊ मार्ग बुलाकर थानाध्यक्ष बक्शा अजय कुमार सिंह व चार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वादी ने जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को दिये गये शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वो और उसका मित्र चन्द्र बदन यादव मोटरसाइकिल से घटनास्थल पहुंचे और पुलिसवालों से पूछा कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिसवालों ने कहा कि हम एस.ओ.जी. से हैं तथा तुम्हारे भाई को पूछताछ के लिये थाने ले जा रहे हैं, जिस पर वादी व उसका मित्र पुलिस की गाड़ी के पीछे–पीछे थाने तक गये, परन्तु वहाँ पुलिस ने उसे अपने भाई से मिलने नहीं दिया। वादी ने दिनांक 02.10.2021 को सी.बी.आई. को दिये गये अपने बयान में कहा है कि वह गिरफ्तारी के समय घर पर नहीं था। अतः वादी द्वारा दिये गये बयानों में विरोधाभास है, जिससे उसके द्वारा एस.ओ.जी. टीम पर लगाये गये आरोप गलत सिद्ध होते हैं। सी.डी.आर. की लोकेशन के अनुसार अजय यादव गिरफ्तारी स्थल पर उपस्थित नहीं था। सी.बी.आई. ने आरोप पत्र में उक्त कथन को गलत बताया है। सी .बी.आई. द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, एस.ओ.जी. टीम का कार्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सम्बन्धित थाने को सौंप देना होता है। अभियुक्तों को सुपुर्द करने के बाद अपराधियों की जांच पड़ताल तथा अपराध में संलिप्तता के विषय में जांच करने का कार्य सम्बन्धित थानाध्यक्ष व विवेचक का होता है, इसमें

एस.ओ.जी. टीम की कोई भूमिका नहीं होती है। मुकदमा अपराध संख्या–33/2021 में पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा दिये गये बयान में यह कहा गया कि पुलिस व सादे वर्दी में एस.ओ.जी टीम के द्वारा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह के सरकारी आवास ले जा कर उसे प्रताड़ित किया गया, ताकि अभियुक्तगण उक्त लूटे गये बैग को स्वीकार कर सके। सी.बी.आई. द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गयी है तथा साजिशन एस.ओ.जी. टीम को फंसाया गया है। उक्त मामले में जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया था, सी.बी.आई. ने उनके द्वारा शिनाख्त नहीं करायी है। दिनांक 11.02.2021 को समय 08:00 बजे रात्रि में कृष्णा यादव उर्फ पुजारी के घर से 150000/– रुपये की रिकवरी के लिये पुलिस टीम उसके घर गयी थी, वहाँ भी वादी तथा उसके घरवालों का बयान है कि एस०ओ० बक्शा, अजय कुमार सिंह मौजूद थे तथा उसी रात 12–12:30 बजे फिर अधिक संख्या बल में पुलिस टीम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी के घर पहुंची थी। वहाँ भी बताया जा रहा है कि एस०ओ०जी० टीम साथ में थी, जबकि सी०डी०आर० रिपोर्ट के साथ एस०ओ०जी० टीम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अभियुक्त के विरुद्ध गलत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले में जो 63,500/– रुपये की रिकवरी एस०ओ० बक्शा द्वारा दर्शायी गयी है, उसकी फर्द बरामदगी अजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी बक्शा के द्वारा लिखी गयी है, जिसमें फर्जी तरीके से वादी व एस०ओ०जी० टीम के हस्ताक्षर बनाये गये हैं, जिसकी हैण्ड राइटिंग परीक्षण हेतु सी.बी.आई. द्वारा सी.एफ.एस.एल. भेजा गया था, जिसे सी.एफ.एस.एल. द्वारा यह कहते हुए वापस कर दिया कि हैण्ड राइटिंग का परीक्षण छायाप्रति से नहीं किया जा सकता, उसकी मूल उपलब्ध करायी जाए, किन्तु सी.बी.आई. द्वारा यह जानते हुए कि फर्द बरामदगी पर वादी व एस०ओ०जी० टीम का हस्ताक्षर नहीं है, जानबूझकर दोबारा परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है कि, उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। अभियुक्त के विरुद्ध सेवा पुस्तिका में कोई विपरीत इन्द्राज नहीं किया गया है तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी अजय यादव, चन्द्र बदन यादव तथा मृतक के परिवारवालों द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिये गये शपथ पत्र बयान तथा सी.बी.आई. को दिये गये बयानों में गम्भीर अंतर है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त को गलत तरीके से आरोपित किया गया है। अभियुक्त निर्दोष है, उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है, अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष/सी०बी०आई० की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र (बी–58) के विरुद्ध आपत्ति (बी–61) प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त एस०ओ०जी०, जौनपुर में मुख्य आरक्षी था तथा एस०ओ०जी० टीम जिले में चोरी, लूट व हत्या के मामलों में अभियुक्तों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस की सहायता करती है। सी.बी.आई. द्वारा की गयी विवेचना में यह प्रकट हुआ कि मृतक को आवेदक/अभियुक्त व थाना बक्शा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.02.2021 की दोपहर में उठाया गया, जिसकी कोई गिरफ्तारी फर्द नहीं बनायी गयी तथा मृतक को थाना बक्शा लाया गया, जहाँ आवेदक/अभियुक्त व एस.ओ.जी. टीम के अन्य सदस्य द्वारा उससे पूछताछ की गयी, जिसके दौरान मृतक को बुरी

तरह से पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर आई चोटों से उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक को आवेदक/अभियुक्त व एस.ओ.जी. टीम के सदस्य द्वारा बुरी तरह से मारने पीटने का तथ्य अभियुक्त अजय कुमार सिंह, एस.ओ. थाना बक्शा व अभियुक्त पर्व कुमार सिंह, निरीक्षक/एस.ओ.जी. प्रभारी के बीच हुई वार्तालाप से स्पष्ट होता है, जिसका ट्रांस्क्रिप्शन पत्रावली पर डी–47 के रूप में मौजूद है। ट्रांस्क्रिप्शन में मृतक को बुरी तरह से मारने पीटने वालों में आवेदक/अभियुक्त का नाम स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है। उक्त रिकॉर्ड बातचीत के सम्बन्ध में सी.एफ.एस.एल. द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है। वार्तालाप में एस.ओ.जी. टीम के प्रभारी को यह दावा करते हुए सुना जा सकता है कि उनकी टीम द्वारा की गयी क्रूर पिटाई के कारण ही मामले में सफलता मिली। आवेदक/अभियुक्त के एस.ओ.जी. टीम के सदस्य होने तथा घटना दिनांक को थाना बक्शा में जाने का मौखिक साक्ष्य के साथ–साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रपत्र डी–82 पत्रावली पर उपलब्ध है। अजय कुमार सरोज व प्रेमनाथ देवनाथ सरोज उर्फ लल्ला सरोज ने अपने बयान अंतर्गत धारा–164 दं.प्र.सं. में स्पष्ट रूप से कहा है कि एस.ओ.जी. टीम के सदस्यों ने मृतक से पूछताछ की थी, जिस दौरान उसे बेरहमी से मारा पीटा गया था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा एस.ओ.जी. टीम का सदस्य रहते हुए दिनांक 11.02.2021 को समय लगभग 08 पी.एम. पर टीम के साथ मृतक के घर बरामदगी हेतु जाया गया। उक्त तथ्य भी टेलीफोनिक वार्तालाप से स्पष्ट होता है। दिनांक 11.02.2021 एवं 12.02.2021 को मृतक की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तैयार की गयी फर्द डी–11 व थाना बक्शा की जी०डी० से भी यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त आरोपित पुलिस कर्मियों की टीम का सदस्य था और ऑपरेशन में शामिल था। पत्रावली पर आवेदक/अभियुक्त के प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी अजय कुमार यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह ग्राम पकड़ी चकमिर्जापुर, थाना बक्शा, जिला जौनपुर का निवासी है। दिनांक 11.02.2021 को समय 3.00 बजे दिन में एस.ओ.जी. टीम व एस.ओ. बक्शा अजय कुमार सिंह मय हमराही पूरी फोर्स के साथ वादी के घर पर आए और उसके भाई कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी पुत्र तिलकधारी, उम्र 24 वर्ष को पकड़ कर थाने ले गये, जबकि उसके भाई के विरुद्ध जनपद के किसी थाने में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, उसका भाई व्यवहार कुशल व्यक्ति था, उसके भाई को एस.ओ.जी. टीम व एस.ओ. बक्शा अजय कुमार सिंह की टीम फर्जी मुकदमे में फंसाने की नीयत से थाने में बैठाये थे। रात्रि 8:00 बजे एस.ओ. बक्शा मय दस हमराही पुलिस वालों के साथ आए और घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर 60,000/–रुपया व सामान उठा ले गये, मना करने पर महिलाओं को भद्दी–भद्दी गालियां दीं, पुनः 12:30 बजे रात्रि में एस.ओ.जी. प्रभारी व एस.ओ. बक्शा अजय कुमार सिंह मय हमराहियों बोलेरो व मोटरसाईकिल से 10 से 12 पुलिस

वालों के साथ वादी के भाई को उसके घर लेकर आये, उसका भाई खड़ा नहीं हो रहा था, जोर–जोर से चिल्ला रहा था, माँ–माँ मुझे बचा लो, पुलिस वाले मुझे जान से मार देंगे, और घर पर रखी मोटरसाईकिल भी उठा ले गये। वादी थाने पर गया तो पुलिस वाले मिलने नहीं दिये, सुबह सूचना मिली कि पुलिस कस्टडी में उसके भाई की मौत हो गयी, उसके भाई की हत्या उपरोक्त पुलिसवालों द्वारा की गयी है। उक्त के आधार पर तत्कालीन एस .ओ. बक्शा व एस.ओ.जी. टीम मय हमराहियों के विरुद्ध हत्या व लूट का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु याचना की गयी।

प्रकरण में अजय कुमार यादव (मृतक के भाई) के द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–38/2021, अंतर्गत धारा– 302, 394, 452, 504 भा.दं.सं., थाना बक्शा, जौनपुर में अजय कुमार सिंह व उनके हमराहियान के विरूद्ध दर्ज की गयी। तत्कालीन एस.पी. के द्वारा विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) गठित की गयी। जब इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित थी, तो उस समय शिकायतकर्ता अजय कुमार यादव के द्वारा क्रि.मिस. रिट पिटीशन नं०– 2998/2021 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 08.09.2021 द्वारा प्रकरण की विवेचना थाना–बक्शा से सी.बी.आई. को स्थानांतरित कर दी गयी। तत्पश्चात् प्रकरण सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 17.09.2021 को पंजीकृत किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि सी.बी.आई. द्वारा की गयी विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमा अपराध संख्या–33/2021, अंतर्गत धारा–356 भा.द.सं. में चार संदिग्ध अवनीश यादव, धर्मेन्द्र यादव उर्फ बच्चू, अजय सरोज एवं प्रेमनाथ देवनाथ सरोज उर्फ लल्ला सरोज को 10.02.2021 की रात में अजय कुमार सिंह एस.ओ. बक्शा एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनके निवास से उठाया गया, उन्हें थाना बक्शा लाया गया और वहाँ उन्हें निरूद्ध रखा गया। वहाँ उनसे दिनांक 01.02.2021 की लूट की घटना के बारे में पूछताछ एवं पिटाई की गयी और उन्हें एस.ओ. बक्शा के कार्यालय आवास पर रखा गया। पूछताछ के दौरान कृष्णा उर्फ पुजारी (मृतक) का नाम दिनांक 01.02.2021 की लूट वाली घटना में अन्य संदिग्ध के रूप में प्रकाश में आया। इसके बाद एस.ओ. बक्शा के द्वारा अपनी टीम के साथ कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को उसके गांव के निकट कंसराज यादव की दुकान से दिनांक 11.02.2021 को समय 3.30 बजे दिन में उठाकर लाया गया और थाना बक्शा में रखा गया।

दौरान विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपित पुलिस कर्मियों के द्वारा मृतक कृष्णा को अपराध की संस्वीकृति के उद्देश्य से लाठी, बेल्ट व अन्य हार्ड एण्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारकर चोटें पहुंचायी गयी, जो कि उसकी मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। मृतक कृष्णा यादव उर्फ पुजारी आरोपित पुलिस कर्मियों की अवैध निरूद्धी में था, उसको उठाये जाने के संबंध में कोई इन्ट्री आदि भी थाने पर नहीं की गयी, कोई अरेस्ट मेमो आदि भी पकड़े जाने के समय नहीं तैयार नहीं किया गया। मृतक कृष्णा की स्थिति खराब होने पर उसे सी.एच.सी. नौपेड़वा, जौनपुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर के द्वारा गम्भीर स्थिति होने के कारण उसे जिला अस्पताल के लिये रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसे मृत बताया गया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि वह एस०ओ०जी०, जौनपुर में मुख्य आरक्षी के रूप में तैनात था तथा प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित पुलिसकर्मियों में शामिल था। सी.बी.आई. की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतक को आवेदक/अभियुक्त व एस.ओ.जी. टीम के अन्य सदस्य द्वारा बुरी तरह से मारने पीटने का तथ्य अभियुक्त अजय कुमार सिंह, एस.ओ. थाना बक्शा व अभियुक्त पर्व कुमार सिंह, निरीक्षक/एस.ओ.जी. प्रभारी के बीच हुई वार्तालाप से स्पष्ट होता है, जिसका ट्रांस्क्रिप्शन पत्रावली पर डी–47 के रूप में मौजूद है। ट्रांस्क्रिप्शन में मृतक को बुरी तरह से मारने पीटने वालों में आवेदक/अभियुक्त का नाम स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है। यह भी कथन किया गया कि उक्त रिकॉर्ड बातचीत के सम्बन्ध में सी.एफ.एस.एल. द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है और वार्तालाप में एस.ओ.जी. टीम के प्रभारी को यह दावा करते हुए सुना जा सकता है कि उनकी टीम द्वारा की गयी क्रूर पिटाई के कारण ही मामले में सफलता मिली।

सी.बी.आई. द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के एस.ओ.जी. टीम के सदस्य होने तथा घटना दिनांक को थाना बक्शा में जाने का मौखिक साक्ष्य के साथ–साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रपत्र डी–82 पत्रावली पर उपलब्ध है। अजय कुमार सरोज व प्रेमनाथ देवनाथ सरोज उर्फ लल्ला सरोज ने अपने बयान अंतर्गत धारा–164 दं.प्र.सं. में स्पष्ट रूप से कहा है कि एस.ओ.जी. टीम के सदस्यों ने मृतक से पूछताछ की थी, जिस दौरान उसे बेरहमी से मारा पीटा गया था और आवेदक/अभियुक्त एस.ओ.जी. टीम का सदस्य रहते हुए दिनांक 11.02.2021 को समय लगभग 08 पी.एम. पर टीम के साथ मृतक के घर बरामदगी हेतु भी गया था, जो तथ्य भी टेलीफोनिक वार्तालाप से स्पष्ट होता है। अभियोजन/सी.बी.आई. की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि एस.ओ.जी. प्रभारी व एस.ओ., थाना बक्शा के मध्य हुई वार्तालाप से आवेदक/अभियुक्त के मृतक को बुरी तरह मारने पीटने में शामिल होने में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है तथा एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गयी राय में स्पष्ट तौर पर यह वर्णित किया गया है कि मृतक की मृत्यु उसे बुरी तरह/बेरहमी से मारने पीटने से आयीं चोटों के कारण हुई है।

10. जहाँ तक आवेदक/आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस.सी.सी. (4) 659*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचन के स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

Union of India Vs. Prafulla Kumar Samal (1979) 3 SCC 4 एवं **Dilawar Balu Kurane Vs. State of Maharashtra (2002) 2 SCC 135** में आरोप विरचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–

That the Judge while considering the question of framing the charges Under Section–227 of the Code has the undoubted power to shift and weigh

the evidence for the limited purpose of finding out whether or not prima–facie case against the accused has been made out.

Where the materials placed the court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained the court will be fully justified in framing a charge and proceeding with the trial.

The test to determine a prima–facie case would naturally depend upon the facts of each case and it is difficult to lay down a rule of universal application.

शिवराम सिंह अहलावत व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य (2013) 1 जे०आई०सी० 290 सुप्रीम कोर्ट में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप बनाये जाने के स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना है कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही चलाये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

इसी सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मो० खालिद 1995 (1) एस०सी०सी० 684*** में यह विधि–व्यवस्था दी गयी है कि–

What the court has to see, while considering the question of framing the charge, is whether the material brought on record would reasonably connect the accused with the crime. No more required to be inquired into.

11. उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक केस के तथ्य पर निर्भर करता है। प्रस्तुत प्रकरण में सी०बी०आई०/अभियोजन द्वारा दौरान विवेचना लिये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने के कारण आवेदक/अभियुक्त स्वेत प्रकाश सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–58 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त स्वेत प्रकाश सिंह की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र (बी–58) **निरस्त** किया जाता है, तद्नुसार आपत्ति (बी–61) निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन हेतु **दिनांक 29.04.2024** को पेश हो। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि पर उपस्थित हो।

दिनांक–10.04.2024.

विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.),
कोर्ट नं०–06, लखनऊ।